न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम	
26.6.19	पक्षकारान उपस्थित हैं वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 136 LR Act. का खारीज किया जाता है निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

तारीख रजू 21.07.2014

मुकदमा नम्बर 18/014

शिब्बू पुत्र धमण्डी आयु जाति नाई निवासी क्यारदा कला पट्टी नारायणपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

——प्रार्थी

बनाम

1 बदरी पुत्र जगन जाति नाई निवासी पट्टीनारायणपुर क्यारदा तहसील हिण्डौन जिला करौली

2 तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्ती खातेदारी इन्द्राज

उपस्थितिः— 1 श्री देवीसिह गुर्जर वकील प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 26.6.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर वकील प्रार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 638 रकवा 1.31 है0 जिसके साबिक नम्बर 315 मिन , 323 मिन,269/4 रकवा 5 वीधा तथा खसरा नम्बर 658/713 रकवा 0.55 , 678 रकवा 0.75 जिसके साबिक खसरा नम्बर 323 मिन 315 मिन,व 315 ,323, रकवा 5 वीधा से भू प्रबन्धक विभाग ने कायम किये गये है। भूमि ग्राम क्यारदाकला तहसील हिण्डौन मे स्थिति है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत 2068 से 71 से साबित है। भू प्रबन्धक विभाग ने जो नवीन खसरा नम्बर 638 बनाया गया है। उस पर वास्तबिक रूप से अप्रार्थी नम्बर 1 मौके पर आवंटन के समय से काबिज होकर फसल दर फसल नियमित रूप से काश्त कर रहा है। नवीन आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है भू प्रबन्धक द्वारा बिना मौका देखे हुये प्रार्थी का रकवा अप्रार्थी को व अप्रार्थी का रकवा प्रार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया है। जबकि बास्तबिक रूप से कब्जा खसरा नम्बर 658/713 व 678 की खातेदारी पर कब्जा है। इसी अनुसार अप्रार्थी का खसरा नम्बर 638 रकवा 1.31है0 पर कब्जा है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा गत रिकार्ड अनुसार हाल रिकार्ड मे नये नम्बर कायत नही करते हुये प्रार्थी व अप्रार्थी के विरूद्व कर दिये गये है। जबकि प्रार्थी उपरोक्त अनुसार भूमि पर काबिज है। इसी अनुसार रिकार्ड मे दुरूस्ति करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमे अप्रार्थी नम्बर 1 उपस्थित नही आया अप्रार्थी नम्बर 2 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को नकारते हुये कहा गया है कि खसरा नम्बर 638 रकवा 1.31 है0 प्राथी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 658/713 , 678 किता 2 कुल रकवा 1.30 है0 अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है जो मिलान क्षेत्रफल से साबिक खसरा नम्बर 323 मिन , 315 मिन , 269/4 से बने है। नक्शे मे कोई तरमीम नही है। अन्त मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे साबिक एवं हाल रिकार्ड से मेल नही खाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्बत 2068 से 71 मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2035 से 38 , जमाबंदी नक्शा ट्रेस आदि पेश किया गया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन मे कहा कि भू प्रबन्धक विभाग द्वारा गलत तरिके से जो नम्बर नवीन कायम किये गये है आवंटन के अनुसार नही है। मेरा आराजी खसरा नम्बर 658/713,678 की भूमि पर कब्जा है। जिसे अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते से हजफ करते हुये मेरे खाते मे दर्ज करे तथा मेरी खातेदारी खसरा नम्बर 638 रकवा 1.31 है0 हजफ करते हुये अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते मे दुरूस्त करते हुये रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन मे साबिक रिकार्ड अनुसार हाल रिकार्ड मे भू प्रबन्धक विभाग ने सही नम्बर कायम किये गये है। वल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी गलत तरिके से अपनी जमीनो पर कब्जा किये हुये है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 269/4 रकवा 5 वीधा प्रार्थी को भूमि आवटंन हुई थी जो सम्बत 2035 से 38 मे गैरखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबन्धक विभाग ने इस आराजी के नवीन खसरा नम्बर 638 रकवा 1.31 है0 बनाये गये है जिसके खातेदारी प्रार्थी के नाम जमाबन्दी सम्बत 2068 से 71 के खाता सख्या 253 दर्ज है। इसी प्रकार अप्रार्थी नम्बर 2 को भी इसी आराजी मे से भूमि आवंटन हुई थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 658/713 ,678 कुल किता 2 कुल रकवा 1.30 है0 कायम होकर अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। जहा पर वकील प्रार्थी का दौराने बहस कथन एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के सम्बन्ध मे अंकन किया है इस आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नही है। वहा पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन सम्बन्धि कोई नक्शा ट्रेंस की तरमीम व कब्जा रिपोर्ट पेश नही कि गई है। तथा नक्शा ट्रेक्स प्रार्थना पत्र मे साबिक आराजी खसरा नम्बर 269 का पेश किया गया है। उस मे भी कोई तरमीम आवंटन नही है तथा जब भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 को आवंटन हुयी थी और आवंटन होने के वाद गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकार्ड करने पर भूमि की पटवारी हल्का , भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार पूर्णरूपेण जॉच करने के वाद ही गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाते है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत मात्र साबिक रिकार्ड से हाल रिकार्ड मे जो गलतिया होती है। उसी को दुरूस्त की जाती है ना कि किसी के कब्जे को आधार मानकर किसी अन्य की खातेदारी मे दर्ज करना हो इस प्रकार से प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने मे नाकाम रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीयान बाबत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner